न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 26/2015

उनवान

धुलजी पिता रतन जाति आदिवासी निवासी बिलड़िया तहसील व जिला बांसवाड़ा हॉल मुकाम ग्राम खडदे पाडला तहसील व जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 31/7/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के पिता रतन पुत्र जीवा आदिवासी कि माही बजाज सागर में उसके गांव बिलड़िया की कृषि भूमि डूब में जाने से एफ.आर.एल. 921 से प्रभावित गांवो को विस्थापित करने के लिए एलोटमेन्ट की गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में कार्यालय निदेशक पुनर्वास माही परियोजना के द्वारा गांव पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में खाता संख्या 71 के मूल सर्वे नम्बर 6615/8 में 5 बीघा भूमि एलोट की गई थी। जिस पर वादी और उसके पिता एलोटमेंन्ट के समय से काश्त करते आ रहे है एंव आज भी इस पर काबिज है। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है। तथा वादी अपने पिता श्री रतन का एकमात्र उत्तराधिकारी, मालिक व स्वामी है।

सेटलमेंन्ट के दौरान् वादी के पिता को एलोट किये गये खसरा नम्बर 6615/8 के मूल सर्वे नम्बर 6615 के बहुत से नये सर्वे नम्बर बनाये गये है जिसमें वादी के पिता को उक्त बताये सर्वे नम्बर का नक्शा ट्रेस के अनुसार नये सर्वे नम्बर 3581 रकबा 1.80 हे0 है। इस भूमि में वादी के उक्त पुराने नम्बर की 6 बीघा कृषि भूमि आती है। जिसे वर्तमान में वादी के पिता व उनकी कृत्यु के बाद वादी का नाम दर्ज होना रह गया है। एंव वर्तमान में उक्त नये सर्वे नम्बर 3581 रकबा 1.80 हे0 में से वादी के नाम 5 बीघा कृषि भूमि खाते में दर्ज करना रह गया है। इसलिये वादी का उक्त सरकारी नम्बर में से अपने नाम नियमानुसार खाता दर्ज रेकार्ड करना आवश्यक है। इस हेतु धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) के नाम सम्मन जारी किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि वादी के पिता रतना पुत्र जीवा जाति भील के नाम ग्राम पालोदा की पुरानी सर्वे नम्बर 6615/8 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। परन्तु वादी के पिता द्वारा उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नही किया जाने से वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल—दरामद नही हुआ तथा आज भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा नही हैं।

प्रकरण को इसी स्टेज पर बहस हेतु नियत किया गया तथा वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख तथा तहसीलदार (भूमिधारी) की ओर से प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्श पर पहूँचे हैं कि वादी के पिता स्व0 श्री करमा पुत्र उंकार द्वारा भू—आवंटन के समय आवंटित की गई भूमि का कब्जा प्राप्त नही किया गया एंव न ही खाता कायम किया गया है। तथा वादी स्वंय का भी आदिनांक तक वाद में दर्शायी गई भूमि पर कब्जा काश्त नही है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

...: उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 26/2015

उनवान

... रतन जाति आदिवासी निवासी बिलड़िया तहसील व जिला बांसवाड़ा ... ग्राम खडदे पाडला तहसील व जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

... गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 31/7/2019

... मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाशक पेश होकर ... हैं कि वाद वादी खारिज किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है। ... शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य ...लाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

... मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 31/7/2019 को जारी की गई।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
... अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
...कालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
...हज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
...ना वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
...वाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
...मिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
...जराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
...	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा